

[2025] 11 S.C.R. 406 : 2025 INSC 1285

छत्तीसगढ़ राज्य

बनाम

अमित ऐश्वर्य जोगी

(दाण्डिक अपील सं. 1927/ 2014)

06 नवम्बर, 2025

[विक्रम नाथ, संजय करोल एवं संदीप मेहता*, न्यायाधीशगण]

विचारार्थ विवादक

क्या लालू प्रसाद यादव व एक अन्य बनाम बिहार राज्य व एक अन्य के प्रकरण में तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय विधि के सही प्रतिपादन को निर्धारित करता है, या क्या इसके लिए एक और बड़ी पीठ द्वारा संदर्भ और संकल्प की आवश्यकता है?

शीर्ष टिप्पण

विधिक स्थिति - धारा 25 - लालू प्रसाद यादव व एक अन्य बनाम बिहार राज्य व एक अन्य का प्रकरण, 2010 INSC 188 : [2010] 4 SCR 334 - क्या एक अन्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है :

अभिनिर्धारित : दूसरा दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है। [कण्डिका 22]

दण्ड विधान, 1860 - धारा 302, 341, 427, 120-ख सहपठित धारा 34 - आयुध अधिनियम, 1959 - धारा 25, 27 - द.प्र.सं., 1973 - धारा 378 - राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के एक नेता की हत्या - सत्र विचारण में विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित 31.05.2007 दिनांकित आदेश जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने 28 आरोपित व्यक्तियों को सिद्धदोष कर आरोपी (प्रत्यर्थी अमित जोगी) को दोषमुक्त किया था, को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक विविध याचिकाएँ प्रस्तुत की गई थीं - उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए लालू प्रसाद यादव व एक अन्य के प्रकरण में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का अवलंब लिया कि

सी.बी.आई.द्वारा अन्वेषण किए जा रहे प्रकरण में राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं थी - शुद्धता :

अभिनिर्धारित : लालू प्रसाद यादव व एक अन्य के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित निर्णय का सूक्ष्म अवलोकन करने पर, कानूनी व्याख्या के सिद्धांतों को लागू करते हुए, पीठ ने माना कि विधायिका ने दोषमुक्ति के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में एक आपसी तौर पर विभेद बनाए रखा है, क्योंकि दण्ड प्रक्रिय संहिता की धारा 378 की उप-धारा (2) में बताए गए दो तरह के प्रकरणों में दोषमुक्ति के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील करने का सक्षम प्राधिकरण केंद्र सरकार है और ऐसे प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार की अधिकारिता समाप्त कर दी गई है- इसमें कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त निर्णय की युक्ति को लागू करने पर, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर अपील स्वीकार किए जाने की अर्जी पोषणीय नहीं होगी। [कण्डिका 19, 20]

द.प्र.सं., 1973 - दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील - राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक नेता की हत्या - प्रत्यर्थी- अमित जोगी दोषमुक्त - सी.बी.आई.ने विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी- अमित जोगी को दोषमुक्त करते हुए पारित किए गए 31.05.2007 दिनांकित निर्णय व आदेश को भी चुनौती दी, यद्यपि कुछ विलंब के साथ - विलंब क्षमा की मांग करने वाला आवेदन और इसके परिणामस्वरूप अपील करने की अनुमति मांगने वाला सी.बी.आई.का आवेदन भी उच्च न्यायालय द्वारा 12.09.2011 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है:

अभिनिर्धारित : वर्तमान प्रकरण में, इस न्यायालय को लगता है कि सी.बी.आई. द्वारा अपील करने की अनुमति की मांग करने वाले आवेदन को दायर करने में हुई विलंब क्षमा कर उच्च न्यायालय से सी.बी.आई. द्वारा दायर उक्त आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होगी - इस तरह की कार्रवाई से यह सुनिश्चित होगा कि दोषमुक्ति के निर्णय की चुनौती की तकनीकी अस्वीकृति के बजाय उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर जांच की जाएगी - यद्यपि यह सच है कि

सी.बी.आई. ने 1373 दिनों की महत्वपूर्ण विलंब के बाद अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु यह भी उतना ही सच है कि प्रत्यर्थी- अमित जोगी के विरुद्ध आरोप बहुत गंभीर थे, जिसमें एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के सदस्य की हत्या की साजिश शामिल थी - दोषमुक्ति के निर्णय को राज्य सरकार और वास्तविक परिवादी के कहने पर चुनौती दी गई थी और इस प्रकार, कार्यवाही अभी भी जीवित थी - अतः इस न्यायालय का मत है कि उच्च न्यायालय को विलंब क्षमा करने की मांग करने वाले सी.बी.आई. के आवेदन पर अधिक उदार और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन की उसके गुण-दोष के आधार पर जांच करनी चाहिए थी - प्रत्यर्थी- अमित जोगी की दोषमुक्ति के निर्णय व आदेश के विरुद्ध सी.बी.आई. द्वारा अपील करने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन दायर करने में हुई विलंब एतद्वारा क्षमा की जाती है। [कण्डिका 26, 30, 33]

द.प्र.सं., 1973 - धारा 372 का परंतुक - दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील - राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक नेता की हत्या - प्रत्यर्थी - अमित जोगी दोषमुक्त - वास्तविक परिवादी ने द.प्र.सं., 1973 की धारा 372 के परंतुक के तहत एक अपील प्रस्तुत करने की मांग की - उच्च न्यायालय ने द.प्र.सं., 1973 की धारा 372 के परंतुक के तहत अपील प्रस्तुत करने की मांग करने वाले वास्तविक-परिवादी के आवेदन को अपोषणीय अभिनिर्धारित किया :

अभिनिर्धारित : इस न्यायालय को द.प्र.सं., 1973 की धारा 372 के परंतुक के तहत वास्तविक-परिवादी के आवेदन की पोषणीयता के पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई गलती नहीं मिलती है - यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकरण में दोषमुक्ति का निर्णय व आदेश 31.05.2007 को दिया गया था, जबकि, सक्षम बनाने वाला उपबंध अर्थात् द.प्र.सं., 1973 की धारा 372 का परंतुक, जो पीड़ित को निर्णय और दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का पर्याप्त अधिकार देता है, 31.12.2009 से प्रभावी हुआ - इस प्रकार, निर्विवाद रूप से, दोषमुक्ति के निर्णय व आदेश के दिनांक अर्थात् 31.05.2007 को, विधि की पुस्तकों में ऐसा कोई उपबंध नहीं था

जिसने वास्तविक परिवादी को पीड़ित की अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश को चुनौती देने की अनुमति देती हो - इस प्रकार, वास्तविक परिवादी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन होने के कारण विफल हो जाती है। [कण्डिका 27, 29]

उद्धृत किए गए निर्णय विधि

लालू प्रसाद यादव व एक अन्य बनाम बिहार राज्य व एक अन्य [2010] 4 एस.सी.आर. 334 : (2010) 5 एस.सी.सी. 1; मल्लिकार्जुन कोडगली (मृत), विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य [2018] 13 एस.सी.आर. 1 : (2019) 2 एस.सी.सी. 752 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दण्ड विधान, 1860, आयुध अधिनियम, 1959, द.प्र.सं., 1973

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या; स्थानीय पुलिस द्वारा अन्वेषण; सी.बी.आई.द्वारा अन्वेषण; लालू प्रसाद यादव व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य; विलम्ब क्षमा; दोषमुक्ति का आदेश; वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत; तकनीकी अस्वीकृति; अपील प्रस्तुत करने का पीड़ित पर्याप्त अधिकार।

प्रकरण उद्धृत

दाण्डिक अपील अधिकारिता : दाण्डिक अपील सं. 1927/2014

दाण्डिक विविध याचिका सं. 137/2008 के साथ दाण्डिक अपील सं. 4758 व 4759-4760 तथा विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 3037/2012 में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के 18.08.2011 दिनांकित निर्णय व आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्तागण :

रवि शर्मा, उप अटर्नी जनरल, श्रीमती प्रेरणा धल, सुश्री करिश्मा राजपूत, एम. एन. गोपीनाथ, प्रशान्त सिंह, श्रीमती कंचन कौर ढोदी, मुकेश कुमार मरोडिया।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्तागण :

रवि शर्मा, उप अटर्नी जनरल, श्रीमती सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, मुकेश कुमार मरोडिया, संजय कुमार त्यागी, राजन कुमार चौरसिया, सुशील कुमार दुबे, जगदीश चंद्र सोलंकी, राहुल शर्मा, श्रीमती रीता दीवान पुरी, सुश्री स्मृति पुरी, डॉ. सौरभ कपूर, पी. एन. पुरी, श्रीमती प्रेरणा धल, सुश्री करिश्मा राजपूत, एम. एन. गोपीनाथ, शिवम् गणेशिया, प्रशांत सिंह, समीर सोढी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

निर्णय

मेहता, न्यायाधीश

1. सुना गया।
2. अनुमति दी गई।
3. इन प्रकरणों को 12 फरवरी, 2020 के आदेश के संदर्भ में तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया है, जिसमें इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा **लालू प्रसाद यादव व एक अन्य बनाम बिहार राज्य व एक अन्य**¹ (न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय) के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह व्यक्त करने पर ध्यान दिया। उक्त आदेश निम्नानुसार है:

“छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता लालू प्रसाद यादव व एक अन्य बनाम बिहार राज्य व एक अन्य (2010) 5 एस.

सी. सी. 1 के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय पर संदेह व्यक्त

करना चाहते हैं, जो तीन न्यायाधीशों की पीठ का है। अतः हमारा

विचार है कि यह उचित हो सकता है कि प्रकरणों को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाए ताकि सुनवाई के और दोहराव से बचा जा सके। अतः प्रकरणों को उचित निर्देशों के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

रजिस्ट्री आवश्यक कार्यवाही करे।

4. छत्तीसगढ़ राज्य, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो² और श्री सतीश जग्गी- वास्तविक परिवादी³ इन चार अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष हैं, जिनमें निम्नलिखित को चुनौती दी गई है -

क. दाण्डिक विविध याचिका सं.137/2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर⁴ के खण्ड पीठ द्वारा पारित 18 अगस्त, 2011 दिनांकित अंतिम आदेश।

ख. दाण्डिक विविध याचिका सं. 495/2011 में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित 12 सितंबर, 2011 दिनांकित अंतिम आदेश।

ग. दाण्डिक विविध याचिका सं. 434/2007 में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित 19 सितंबर, 2011 दिनांकित अंतिम आदेश।

5. इन दाण्डिक विविध याचिकाओं को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 2003 के सत्र विचारण संख्या 343 और 2005 के 329 में विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण)⁵, रायपुर 5 द्वारा पारित 31 मई, 2007 के सामान्य निर्णय और आदेश पर जोर दिया गया था, जिसमें निचली न्यायालय ने 28 अभियुक्त व्यक्तियों को

2 एतस्मिन् पश्चात् "सी.बी.आई." के रूप में संदर्भित।

3 एतस्मिन् पश्चात् "वास्तविक परिवादी" के रूप में संदर्भित।

4 एतस्मिन् पश्चात् "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित।

5 एतस्मिन् पश्चात् "विचारण न्यायालय" के रूप में संदर्भित।

दोषी ठहराते हुए आरोपी अमित ऐश्वर्या जोगी⁶ को दोषमुक्त कर दिया था। यह दोनों मामले 4 जून, 2003 को पुलिस स्टेशन, मौधापारा, जिला रायपुर के क्षेत्राधिकार में हुई हिंसा और हत्या की घटना के अनुसार दर्ज किए गए थे।

संक्षिप्त तथ्य

6. प्रत्यर्थी- अमित जोगी, घटना के समय छत्तीसगढ़ के सेवारत मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी का पुत्र है।

7. अधिकथित है कि श्री रामावतार जग्गी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता की 4 जून, 2003 को अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। प्रारंभ में, उक्त घटना से संबंधित एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन वी. के. पाण्डेय, थाना मौधापारा के तत्कालीन टाउन इंस्पेक्टर एवं थाना प्रभारी द्वारा भारतीय दण्ड विधान, 1860⁷ की धारा 307 और 427 के तहत दर्ज की गई थी, जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन सं. 104/2003 थी। अन्वेषण के समापन पर, स्थानीय पुलिस ने विनोद सिंह उर्फ बादल, श्याम सुंदर उर्फ आनंद शर्मा, जामवंत उर्फ बाबू, अविनाश सिंह उर्फ लल्लन और विश्वनाथ राजभर के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 427, 302, 120-ख सहपठित धारा 34 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973⁸ की धारा 173 (2) के तहत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि भा.द.वि. की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए प्रकरण सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को उपार्पित किया गया था, जहां भा.द.वि. की धारा 302, 341, 427, 120-खसह पठित धारा 34 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए सत्र प्रकरण सं. 334/2003 दर्ज किया गया था।

6 एतस्मिन् पश्चात् "प्रत्यर्थी- अमित जोगी" के रूप में संदर्भित।

7 एतस्मिन् पश्चात् "भा.द.वि." के रूप में संदर्भित।

8 एतस्मिन् पश्चात् "द.प्र.सं." के रूप में संदर्भित।

8. वास्तविक परिवादी, श्री सतीश जग्गी अर्थात् दाण्डिक अपील @ विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 7331/2011 एवं 1438/2012 में अपीलार्थी और रामावतार जग्गी का पुत्र, स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण के परिणाम से असंतुष्ट था इसलिए उसने राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसके जवाब में छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 जनवरी, 2004 दिनांकित अधिसूचना सं. एफ/4/6/2004/गृह-C जारी कर थाना मौधापारा की प्रथम सूचना प्रतिवेदन सं. 104/2003 को अन्वेषण हेतु सी.बी.आई.को हस्तांतरित कर दिया। केंद्र सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया और अन्वेषण सी.बी.आई. को सौंप दी।

9. इस तारतम्य में, सी.बी.आई. ने भा.द.वि. की धारा 320, 120-ख, 427 सहपठित धारा 34 तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए प्रकरण अपराध सं. आर. सी.-1 (एस)/2004/एस. सी. बी.-1/दिल्ली दर्ज की। संबंधित न्यायालय से आगे के अन्वेषण का आदेश प्राप्त किया गया और अन्वेषण के समापन के अनुसार, सी.बी.आई. द्वारा इस निष्कर्ष के साथ एक नया आरोप- पत्र प्रस्तुत किया गया कि अमित जोगी (यहाँ प्रत्यर्थी), चिमन सिंह, याहया डेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की 10 जून, 2003 की रैली को बाधित करने के लिए उसके कोषाध्यक्ष श्री रामावतार जग्गी को निशाना बनाकर साजिश रची। रैली को बाधित करने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए मई, 2003 में मुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक की गई थी जिसमें श्री रामावतार जग्गी को मुख्य निशाने के रूप में चुना गया था। 4 जून, 2003 को रात्रि लगभग 10:00 बजे चिमन सिंह और भिंड से किराए पर लिए गए अन्य हमलावरों ने उस ऑल्टो कार पर घात लगाकर हमला किया जिसमें श्री रामावतार जग्गी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने डंडों से वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। चिमन सिंह ने श्री रामावतार जग्गी को गोली मार दी, जबकि अन्य अभियुक्तों ने हमले के दौरान श्री रामावतार जग्गी द्वारा पहने गए रुद्राक्ष के पवित्र माला (हार) को छीन लिया। सी.बी.आई. ने प्रत्यर्थी-अमित जोगी सहित अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 302, 324, 427, 193 और 218 सहपठित धारा 120-ख के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए

आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सत्र विचारण सं. 329/2005 संबंधित न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया था। निष्कर्ष पर, विचारण न्यायालय ने 31 मई, 2007 दिनांकित निर्णय व आदेश के माध्यम से अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने भा.द.वि. और आयुध अधिनियम, 1959 के विभिन्न उपबंधों के तहत 28 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया था। यद्यपि, प्रत्यर्थी-अमित जोगी को साक्ष्यों की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था।

10. प्रतिवादी अमित जोगी को दोषमुक्त किए जाने से व्यथित होकर, छत्तीसगढ़ राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(3) के तहत दाण्डिक विविध याचिका सं. 137/2008 दायर की, जिसमें दोषमुक्ति के 31 मई 2007 दिनांकित आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे 18 अगस्त, 2011 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने **लालू प्रसाद यादव व एक अन्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का अवलंब लिया और कहा कि सी.बी.आई. द्वारा जांच किए गए प्रकरण में राज्य द्वारा दायर अपील की अनुमति का आवेदन पोषणीय नहीं था।

11. वास्तविक परिवादी, श्री सतीश जग्गी ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सं. 434/2007 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के परंतुक के तहत एक अंतर्वर्ती आवेदन सं. 1/2011 भी दायर किया जिसमें पुनरीक्षण याचिका को दाण्डिक अपील में बदलने की मांग की गई थी ताकि वे पिड़ित की हैसियत से प्रत्यर्थी-अमित जोगी की दोषमुक्ति को चुनौती दे सकें। उस आवेदन को उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर, 2011 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि छत्तीसगढ़ राज्य की अपील की अनुमति मांगने वाला आवेदन और वास्तविक परिवादी की द.प्र.सं. की धारा 372 के परंतुक के तहत अपील करने का आवेदन, पोषणीय नहीं है। सी.बी.आई. ने विचारण न्यायालय के 31 मई, 2007

दिनांकित निर्णय व आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें प्रत्यर्थी- अमित जोगी को दोषमुक्त किया गया था, यद्यपि कुछ विलंब से। विलंब क्षमा किए जाने का अवेदन तथा परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति मांगने वाले सी.बी.आई. के अवेदन को भी उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर, 2011 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। इन परिस्थितियों में, इन चार अपीलों को इस न्यायालय के समक्ष निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थियों की ओर से निवेदन

12. छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर तर्क किया कि लालू प्रसाद यादव व एक अन्य (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इस न्यायालय की तीन न्यायधीशों की पीठ का दृष्टिकोण विधिक उपबंधों का सही अर्थ नहीं निकालता है और इसके अलावा, उस प्रकरण के औचित्य इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि वर्तमान प्रकरण में, यह स्वीकार किया गया है कि प्रारंभिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी, जिसने अन्वेषण पूरी करने के बाद पहला आरोप- पत्र भी प्रस्तुत किया था। यद्यपि, जब वास्तविक परिवादी ने स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जाँच के परिणाम पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया, तो राज्य सरकार ने मूल प्रथम सूचना प्रतिवेदन आर. की जाँच को सी.बी.आई.को स्थानांतरित करने का एक सुविचारित निर्णय लिया। केंद्रीय अभिकरण ने स्थानीय पुलिस द्वारा की गई अन्वेषण को केवल सत्यापित और पूरक किया और संबंधित न्यायालय में एक नया आरोप- पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यह एक सीधा-सरल प्रकरण नहीं है, जहां केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत सीधे सी.बी.आई. द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई थी, जिससे राज्य सरकार द्वारा दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को लालू प्रसाद यादव व एक अन्य (पूर्वोक्त) के निर्णय के कारण अक्षम हो गया हो। विद्वान अधिवक्ता ने लालू प्रसाद यादव व एक अन्य (पूर्वोक्त) की कण्डिका 37 पर जोर

देकर अपने तर्क को मज़बूत किया कि वर्तमान स्थिति पूरी तरह से इन बातों के दायरे में आती है:

“37. यदि हम धारा 378 की उप-धारा (1) और (2) को वह व्याख्या देते हैं जिसका राज्य सरकार दावा करती है; तो हमें यह कहना होगा कि चाहे वह परिवाद राज्य सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा दर्ज नहीं की गई हो; वह अन्वेषण उसकी पुलिस स्थापना द्वारा नहीं की गई थी; कि राज्य सरकार द्वारा न तो अभियोजन शुरू किया गया था और न ही जारी रखा गया था; कि लोक अभियोजक को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था; कि राज्य सरकार का दाण्डिक मामले से कोई लेना-देना नहीं था; कि अभियोजन शुरू करने से लेकर इसके तार्किक अंत तक के सभी कदम दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान द्वारा उठाए गए थे और फिर भी राज्य सरकार धारा 378 (1) के तहत दोषमुक्त करने के आदेश से अपील दायर कर सकती है। यह प्रारंभिक शब्दों में प्रतिबिंबित अपवाद (खंड) को प्रस्तुत करना होगा-"उप-धारा (2) में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर"-अनावश्यक, अर्थहीन और अनावश्यक। यदि विधायिका ने उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रकरणों के वर्गों सहित दोषमुक्त किए जाने के सभी प्रकरणों में राज्य सरकार को धारा 378 (1) के तहत अपील का अधिकार देने का इरादा किया होता, तो प्रारंभिक शब्दों में अपवाद (खंड) को शामिल करना आवश्यक नहीं होता। यह उद्देश्य इन शब्दों के उपयोग के बिना प्राप्त किया जा सकता था क्योंकि 1898 की संहिता की पूर्ववर्ती धारा 417 ने राज्य सरकार को दोषमुक्त करने के सभी प्रकरणों में अपील करने में सक्षम बनाया, जबकि इसकी उप-धारा (2) में उल्लिखित दो प्रकार के प्रकरणों में, दोषमुक्त करने के आदेश से अपील केंद्र सरकार के निर्देश के तहत भी

प्रस्तुत की जा सकती थी।"

13. उपरोक्त तर्क पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि वर्तमान प्रकरण की विषम परिस्थितियों में, जहां शुरू में राज्य पुलिस के पास प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई थी और बहुत बाद में राज्य सरकार के कहने पर सी.बी.आई.को अन्वेषण का काम सौंपा गया था, रखरखाव का प्रतिबंध लागू नहीं होगा और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कर अपील को इस अति तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

14. सी.बी.आई. का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष सी.बी.आई. द्वारा द.प्र.सं. की धारा 378 (3) के तहत अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को दायर करने में हुई विलंब वास्तविक थी। केंद्रीय अभिकरण इस धारणा में थी कि राज्य सरकार ने पहले ही प्रत्यर्थी- अमित जोगी के दोषमुक्त होने के विरुद्ध अपील दायर करने का विकल्प चुना था और इस प्रकार, उस स्तर पर, सी.बी.आई. के लिए प्रत्यर्थी- अमित जोगी के दोषमुक्त होने के निर्णय को चुनौती देना आवश्यक नहीं समझा गया था। यद्यपि, जब अपील करने की अनुमति दायर करने के राज्य के अधिकार पर सवाल उठाया गया, तो प्रतिवादी अमित जोगी को दोषमुक्त करने के विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश को चुनौती देने के लिए उचित स्तर पर एक सचेत और विचारशील निर्णय लिया गया, जिसमें विलंब को क्षमा करने की प्रार्थना के साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (2) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया गया। अतः यह तर्क दिया गया कि इस तरह के संवेदनशील प्रकृति के प्रकरण में, उच्च न्यायालय को एक व्यावहारिक और उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और प्रकरण पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना चाहिए था, न कि केवल विलंब के आधार पर।

15. वास्तविक परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय का यह निर्वचन कि वास्तविक परिवादी की अपील मानी नहीं जा सकती,

अभिलेख के हिसाब से गलत है। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि द.प्र.सं. की धारा 372 का परंतुक, एक सामाजिक- लाभकारी विधि होने के नाते, पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए अतः वास्तविक परिवादी के आवेदन को पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

प्रत्यर्थी की ओर से निवेदन

16. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-अमित जोगी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील की अनुमति मांगने वाले आवेदन और वास्तविक- परिवादी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गैर-विचारणीय है और इसलिए विलंब के आधार पर सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत अपील की अनुमति मांगने वाला आवेदन भी तथ्यों और विधि में अक्षुण्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को आमंत्रित करने वाले विधि का कोई प्रश्न मौजूद नहीं है, जो किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं।

विवेचन और निष्कर्ष

17. हमने अधिवक्ताओं के निवेदनों पर गहन विचार किया है और आक्षेपित आदेशों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। हमने लालू प्रसाद यादव व एक अन्य (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर भी गहन विचार किया है।

I. दण्डिक अपील सं. 1927/ 2014

लालू प्रसाद यादव व एक अन्य (पूर्वोक्त) के प्रकरण में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को ध्यान से पढ़ने पर, हम पाते हैं कि इस न्यायालय ने इस मामले में शामिल विधि के नियमों, अर्थात् द.प्र.सं., 1898 की धारा 417 या द.प्र.सं., 1973 की धारा 378

पर बड़े पैमाने पर विचार किया और चर्चा की। बेंच ने द.प्र.सं. के दो आवश्यक नियमों, अर्थात् 378(1) और 378(2) में निम्नलिखित तरीके से विस्तार से विभेद किया है:

“30. धारा 378 को छह उप-धाराओं में विभाजित किया गया है। उप-धारा (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त करने के मूल या अपीली आदेश या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण रूप से पारित दोषमुक्त करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील पेश करने का निर्देश दे सकती है। यह "उप-धारा (2) में अन्यथा प्रदान किए गए शब्दों को छोड़कर" और उसके बाद "और उप-धारा (3) और (5) के उपबंधों के अधीन" शब्दों के साथ शुरू होता है।

31. उप-धारा (2) दो वर्गों के प्रकरणों को संदर्भित करती है, अर्थात्, (i) वे मामले जहां 1946 के अधिनियम के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अपराध की अन्वेषण की गई है, और (ii) वे मामले जहां अपराध की अन्वेषण 1973 की संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध की अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा की गई है और यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार लोक अभियोजक को दोषमुक्त करने के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील पेश करने का भी निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त दो प्रकार के प्रकरणों में ऐसी अपील उप-धारा (3) में निहित उपबंधों के अधीन है।

XXX

35. हमने उपबंध का पूरा आकलन करने के लिए धारा 378 का पूरी तरह से सर्वेक्षण किया है। प्रारंभिक शब्द- "उप-धारा (2) में अन्यथा

उपबंधित को छोड़कर"-अपवाद की प्रकृति के हैं जिनका उद्देश्य उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रकरणों के वर्गों को उप-धारा (1) के मुख्य भाग के संचालन से बाहर करना है। इन शब्दों का संदर्भ में कोई अन्य अर्थ नहीं है, परन्तु उप-धारा (1) के संचालन को अर्हता प्राप्त करने और उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दो प्रकार के प्रकरणों को इसके दायरे से बाहर निकालने के लिए, अर्थात्, (i) वे मामले जिनमें 1946 के अधिनियम के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अपराध की अन्वेषण की गई है, और (ii) ऐसे प्रकरण जिनमें अपराध की जांच किसी अन्य अभिकरण द्वारा की गई हो जिसे 1973 संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने का अधिकार हो। 1973 की संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध में। उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रकरणों के दो वर्गों को छोड़कर, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दोषमुक्त किए जाने के आदेश से अपील की अनुमति देने वाले तरीके से धारा 378 का अर्थ लगाने से, प्रारंभिक शब्दों में व्यक्त अपवाद (खंड) को पूरा प्रभाव दिया जाएगा।

36. जैसा कि ऊपर देखा गया है, शब्द-"उप-धारा (2) में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर"-1973 की संहिता में जोड़े गए थे; 1898 की संहिता की धारा 417 में ये शब्द नहीं थे। यह निर्माण का एक परिचित नियम है कि शब्दों और वाक्यांशों में सभी परिवर्तनों को जानबूझकर और पहले से मौजूद विधि को सीमित करने, अर्हता प्राप्त करने या बड़ा करने के उद्देश्य से किया गया माना जा सकता है। कोई भी निर्माण जो उस अपवाद (खंड) जिसके साथ धारा खुलता है, को अनावश्यक बनाता हो, उससे बचा जाना चाहिए।"

19. इस विषय पर पूरे मौजूदा प्रकरण विधि को पूरी तरह से संदर्भित और विश्लेषण किया गया था। तत्पश्चात्, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों को लागू करते हुए, पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि विधायिका ने निर्णय और दोषमुक्त करने के आदेश से अपील के मामले में पारस्परिक रूप से अनन्य विभाजन बनाए रखा है क्योंकि द.प्र.सं. की धारा 378 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दो प्रकार के प्रकरणों में दोषमुक्त करने के निर्णय व आदेश से अपील करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार है और ऐसे प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार को बाहर रखा गया है। लालू प्रसाद यादव व एक अन्य (पूर्वोक्त) की कण्डिका 54 में की गई सुसंगत टिप्पणियाँ नीचे उद्धरित की गई हैं :

“54. हमारी मत में, विधायिका ने दोषमुक्त करने के आदेश से अपील के मामले में पारस्परिक रूप से अनन्य विभाजन बनाए रखा है क्योंकि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दो प्रकार के प्रकरणों में दोषमुक्त करने के आदेश से अपील करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार है और ऐसे प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार को बाहर रखा गया है....”

20. इसमें कोई शक नहीं कि ऊपरोक्त निणय के तर्क को लागू करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील का आवेदन पोषणीय नहीं होगा।

21. इन प्रकरणों में जिस मुख्य प्रश्न पर निर्णय की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव व एक अन्य (पूर्वोक्त) के प्रकरण में तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय विधि का सही प्रतिपादन बताता है, या इसे वृहद पीठ को प्रेषित करने और उसके द्वारा हल कराए जाने की आवश्यकता है।

22. वैधानिक ढांचे की जांच करने और बार में दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, हम अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं देखते हैं। यद्यपि, विवाद में एक पहलू है जिसके लिए एक उपयुक्त प्रकरण में गहरी जांच की आवश्यकता हो सकती है। लालू प्रसाद यादव व एक अन्य (पूर्वोक्त) में निर्णय की कण्डिका 37 में, इस न्यायालय ने कुछ संकेत

दिया कि अगर एक अलग नज़रिया अपनाया जाए, तो इसका अर्थ यह होगा कि भले ही राज्य सरकार या उसके अधिकारियों ने शिकायत दर्ज न की हो, उसकी पुलिस स्थापना (एस्टैब्लिशमेंट) ने जांच न की हो, और राज्य सरकार की दाण्डिक कार्यवाही में कोई भूमिका न हो, और जहां अभियोजन प्रारंभ करने से लेकर उसके औचित्यपूर्ण अंत तक के सभी कदम दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना (स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट) ने उठाए हों, फिर भी राज्य सरकार द.प्र.सं. की धारा 378(1) के तहत दोषमुक्ति के निर्णय व आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकती है।

23. जाहिरा तौर पर, ये टिप्पणियां इस तर्क को जन्म दे सकती हैं कि वर्तमान प्रकरण जैसे प्रकरणों में, जहां प्रारंभिक स्तर में, राज्य पुलिस द्वारा अन्वेषण की गई थी और तत्पश्चात् राज्य सरकार ने आगे का अन्वेषण सी.बी.आई. को सौंपना उचित समझा, शायद राज्य सरकार अपने दम पर निर्णय और दोषमुक्त करने के आदेश को चुनौती देने का अधिकार दे सकती है, भले ही सी.बी.आई. इस तरह की कार्यवाही न करे।

24. यद्यपि, हम विवाद में प्रवेश करने का कोई कारण नहीं पाते हैं और न ही हम इस कारण से एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी हैं कि **लालू प्रसाद यादव व एक अन्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में सी.बी.आई. ने भी उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया और विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने पर सवाल उठाते हुए अपील दायर नहीं करने का निर्णय किया। यद्यपि, वर्तमान प्रकरण में, विशिष्टता यह है कि सी.बी.आई. ने भी प्रत्यर्थी-अमित जोगी को दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

25. इस पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि यह प्रश्न कि क्या राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से एक ऐसे प्रकरण में अभियुक्त को दोषमुक्त करने के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकती है, जिसे शुरू में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और बाद में सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत आरोप- पत्र पर विचारण किया गया था, की निम्नलिखित स्थितियों से जुड़े उपयुक्त प्रकरण में जांच की जा सकती है और विचार-विमर्श किया जा सकता है:

(क) परिवाद राज्य सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा दर्ज कराया गया था;

(ख) अन्वेषण आंशिक रूप से राज्य पुलिस द्वारा की गई थी;

(ग) राज्य सरकार के कहने पर अभियोजन शुरू किया गया था;

(घ) दाण्डिक कार्यवाही में राज्य सरकार की हिस्सेदारी है; और

(ङ) राज्य सरकार के कहने पर सी.बी.आई. की अधिकारिता को लागू किया गया था।

26. यद्यपि, वर्तमान प्रकरण में, हम महसूस करते हैं कि सी.बी.आई. द्वारा अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ कर तथा उच्च न्यायालय से सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार की अपेक्षा कर न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई यह सुनिश्चित करेगी कि दोषमुक्त किए जाने के निर्णय को चुनौती देने की जांच तकनीकी अस्वीकृति के बजाय उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर की जाएगी।

II. दाण्डिक अपील @विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 7331/2011

27. हम द.प्र.सं. की धारा 372 के परंतुक के तहत प्रस्तुत वास्तविक परिवादी के आवेदन की पोषणीयता के पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में भी कोई गलती नहीं पाते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकरण में दोषमुक्त करने का निर्णय और आदेश 31 मई, 2007 को दिया गया था, जबकि सक्षम करने वाला प्रावधान अर्थात् द.प्र.सं. की धारा 372 का परंतुक⁹, जो पीड़ित को दोषमुक्त करने के निर्णय व आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का पर्याप्त अधिकार देता है, 31 दिसंबर, 2009 से प्रभावी हुआ।

28. **मल्लिकार्जुन कोडगली (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य**¹⁰ के प्रकरण में इस न्यायालय ने सकारात्मक रूप से अभिनिर्धारित किया

⁹दाण्डिक अपील @ विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 7331/2011

¹⁰(2019) 2 SCC 752

जाता है कि पीड़ित को द.प्र.सं. की धारा 372 के परंतुक के तहत दोषमुक्त करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार केवल 31 दिसंबर, 2009 के बाद पारित दोषमुक्त करने के आदेशों के संबंध में मिलता है। इस न्यायालय द्वारा कंडिका 72 में की गई टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:

“72. महत्वपूर्ण बात यह है कि अनेक उच्च न्यायालयों ने इस प्रभाव का एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया है कि अपराध के पीड़ित को द.प्र.सं. की धारा 372 के परंतुक के तहत अपील करने का अधिकार है। यह दृष्टिकोण परंतुक की सरल भाषा के अनुरूप है। परन्तु जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि कई उच्च न्यायालयों ने यह दृष्टिकोण भी अपनाया है कि कथित अपराध के दिनांक का अपील करने के अधिकार से कोई संबंध नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया है, और हमने ऊपर उन निर्णयों का उल्लेख किया है, कि महत्वपूर्ण दिनांक विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त किए जाने के आदेश का दिनांक है। एक अर्थ में, वाद कारण अपराध के पीड़ित के पक्ष में केवल तभी उत्पन्न होता है जब दोषमुक्त होने का आदेश पारित किया जाता है और यदि ऐसा 31-12-2009 के बाद होता है तो पीड़ित को दोषमुक्त होने के निर्णय को एक अपील के माध्यम से चुनौती देने का अधिकार है। वास्तव में, यह अधिकार न केवल दोषमुक्त किए जाने के आदेश को चुनौती देने के लिए है बल्कि कमतर अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि या अपर्याप्त छतिपूर्ति अधिरोपित करने को भी चुनौती देता है। परंतुक की भाषा काफी स्पष्ट है, और हमें उन बारीकियों को नहीं पढ़ना चाहिए जो परंतुक में मौजूद नहीं हैं।”

(जोर दिया गया)

29. इस प्रकार, निर्विवाद रूप से, दोषमुक्त किए जाने के निर्णय और आदेश के दिनांक अर्थात् 31 मई, 2007 तक, विधि की पुस्तक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो

वास्तविक परिवादी को पीड़ित की अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्त किए जाने के निर्णय और आदेश को चुनौती देने की अनुमति देता हो। इस प्रकार, वास्तविक परिवादी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील @विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 7331/2011 सारहीन होने के कारण विफल होता है।

III. दाण्डिक अपील @विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 3037/2012 और @विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक।) सं. 1438/2012

30. अब हम 12 सितंबर, 2011 दिनांकित आदेश को चुनौती देने वाले वास्तविक परिवादी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील @ विशेष अनुमति याचिका(दाण्डिक) सं. 1438/2012 तथा सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील @विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 3037/2012 की ओर रुख करते हैं। यद्यपि यह सच है कि सी.बी.आई. ने 1373 दिनों की महत्वपूर्ण विलंब के बाद अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु यह भी उतना ही सच है कि प्रत्यर्थी-अमित जोगी के विरुद्ध आरोप बहुत गंभीर थे, जिसमें एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के सदस्य की हत्या की साजिश शामिल थी। दोषमुक्त किए जाने के निर्णय को राज्य सरकार और वास्तविक परिवादी के कहने पर चुनौती दी गई थी और इस प्रकार, कार्यवाही अभी भी जीवित थी। अंतः हमारी मत है कि उच्च न्यायालय को विलंब क्षमा करने की मांग करने वाले सी.बी.आई.के आवेदन से निपटने में अधिक उदार और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और इसके गुण-दोष के आधार पर अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन की जांच करनी चाहिए थी।

31. हम अविलंब यह भी जोड़ सकते हैं कि हम सी.बी.आई.द्वारा विलंब क्षमा किए जाने के लिए उसके आवेदन में दिए गए स्पष्टीकरण को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, परन्तु हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस तरह के गंभीर आरोपों से जुड़े प्रकरण को केवल तकनीकी कारणों से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

32. साथ ही हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हम प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित, अपील करने की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए सी.बी.आई. के अनुरोध पर विचार करते समय उच्च न्यायालय मामले के गुण-दोष की जांच कर सकता है।

33. परिणामस्वरूप, सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील @ विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 3037/2012 का सफल होता है तथा आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी- अमित जोगी को दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश के विरुद्ध सी.बी.आई.द्वारा अपील करने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन दायर करने में हुए विलंब को एतद्वारा क्षमा किया जाता है। गुण-दोष के आधार पर सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत अपील करने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाता है।

34. यद्यपि, अपील स्वीकार किए जाने के स्तर में, दोष मुक्त गए अभियुक्त को आम तौर पर सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है, यद्यपि, वर्तमान प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों में, क्योंकि हमने अपील करने की अनुमति प्रदान करना के लिए आवेदन दायर करने में सी.बी.आई. द्वारा की गई महत्वपूर्ण विलंब को माफ कर दिया है, हम न्याय के हित में, प्रत्यर्थी-अमित जोगी (दोष मुक्त गए अभियुक्त) को अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन में सुनवाई का अवसर देना समीचीन विचार। वास्तविक परिवादी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य को भी अपील करने की अनुमति मांगने वाले सी.बी.आई. के आवेदन में पक्षकारों के रूप में शामिल किया जाएगा और वे उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत करने के हकदार होंगे।

35. परिणामस्वरूप, सी.बी.आई.द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील @ विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 3037/2012 स्वीकार की जाती है; छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील सं. 1927/2014 तथा वास्तविक परिवादी सतीश जग्गी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक

अपील @ विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 7331/2011 एवं 1438/2012 एतद्द्वारा खारिज किए जाते हैं।

36. लंबित आवेदन, यदि कोई हों तो, निराकृत होते हैं।

प्रकरण का परिणाम : दाण्डिक अपील @ विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) 3037/2012 स्वीकार की जाती है। दाण्डिक अपील सं. 1927/2014, सं. विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) 7331/2011 तथा 1438/ 2012 खारिज किए जाते हैं।

† शीर्ष टिप्पण अंकित ज्ञान द्वारा तैयार किए गए।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।